न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत श्यालुता

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/444/15

अनुवान– 1 सीताराम पुत्र तारिया जाति कोली निवासी प्रेमपुरा श्यालुता तहसील राजगढ
2 सन्तो पुत्री तारिया स्त्री तुलसीराम जाति कोली निवासी प्रेमपुरा श्यालुता तहसील राजगढ
3 कमला पुत्री तारिया स्त्री घासीलाल जाति कोली निवासी प्रेमपुरा श्यालुता तहसील राजगढ
4 धप्पो पुत्री तारिया स्त्री रामदयाल जाति कोली निवासी प्रेमपुरा श्यालुता तहसील राजगढ
:– प्रार्थी

बनाम

1. रामरतन पुत्र तारिया जाति कोली निवासी प्रेमपुरा श्यालुता तहसील राजगढ
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार राजगढ

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

05.06.2018:–आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत श्यालुता पर मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे इकतरफा बहस सुनी जाकर आराजी हाल खसरा नं0 32/1.16, 203/0.40 है0 वाके ग्राम प्रेमपुरा श्यालुता तहसील राजगढ के बाबत दिनांक 17.07.2015 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 25.08.2015 तक के लिये आराजी विवादित की प्रार्थी के हिस्से तक रिर्काड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, तथा अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किया गया है।

अप्रार्थी की और से वकील दिनांक 25.08.2015 को उपस्थित न्यायालय होने के उपरांत भी उनकी और से जवाब प्रार्थना पत्र कई मौके दिये जाने के बाद भी पेश नही किया गया है।

मैने पत्रावली का स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय अवलोकन व निरीक्षण किया, प्रार्थी की और से प्रस्तुत दस्तावेज फोटोप्रति हाल जमाबंदी ग्राम प्रेमपुरा श्यालुता तहसील राजगढ खाता संख्या 27 का अवलोकन व निरीक्षण किया गया प्रस्तुत रिकार्ड से आराजी विवादित पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी की और से वकील दिनांक 25.08.2015 को उपस्थित न्यायालय होने के उपरांत भी उनकी और से जवाब प्रार्थना पत्र कई मौके दिये जाने के बाद भी पेश नही किया गया है। प्रकरण में टी.आई आदेश 17.07.2015 से प्रभावी चल रहे है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है किः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. विवादित आराजी खसरा नं.32/1.16, 203/0.40 है0 वाके ग्राम प्रेमपुरा श्यालुता तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है, तथा इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 17.07.2015 ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंग्न मूल वाद जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट श्यालुता तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत श्यालुता